संख्या-1/13/09-पी.एण्ड.पी.डब्ल्यू.(ई.)

**भारत सरकार**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, नई दिल्ली

**दिनांक: 28 अप्रैल, 2011**

**<u>कार्यालय ज्ञापन</u>**

विषय: केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री तथा आश्रित अक्षम बहन/भाइयों के लिए भी कुटुम्ब पेंशन के कार्यक्षेत्र के विस्तार से संबंधित स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर संशोधित सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के मौजूदा उपबंधो के अनुसार सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का पुत्र/पुत्री अपने विवाह/पुर्नविवाह की तारीख तक अथवा जब तक की वह अपनी जीविका अर्जित करना आरम्भ नही कर दें अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, कुटुम्ब पेंशन आहरित करने के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी पुत्र/पुत्री को किसी प्रकार की दीमागी अशक्तता अथवा अक्षमता से ग्रस्त, दीमागी रूप से निशक्तता अथवा शारीरिक रूप से विकलांगता सहित, जीवन भर के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करने की शर्त पर कुटुम्ब पेंशन प्राप्त काने की पात्रता है। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 27.10.97 के का.ज्ञा.सं. 45/86/97-पी.एंडपी.डब्ल्यू. (ए) तथा दिनांक 30.08.2004 का का.ज्ञा.सं. 1/19/03-पी.एंडपी.डब्ल्यू. (ई) द्वारा तलाकशुदा/विधवा पुत्री को 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बावजूद भी कतिपय शर्तों को पूरा करने की शर्त के आधार पर कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के आदेश जारी किए गए थे। तत्पश्चात इस विभाग के दिनांक 11.10.2006 के का.ज्ञा.सं. 1/19/03-पी.एंडपी.डब्ल्यू. (ई) द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि तलाकशुदा/विधवा पुत्री को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने क बाद अथवा पहले हुए तलाक/विधवा होने की दशा में भी कुटुम्ब पेंशन ग्राघ्र्य होगी

2. इसके अतिरिक्त इस विभाग के दिनांक 6 सितम्बर, 2007 के का.ज्ञा.सं.1/19/03-पीएण्डपी डब्ल्यू (ई) द्वारा आदेश जारी किए गए जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की

अविवाहित पुत्री को 25 वर्ष के आगे भी विधवा/तलाकशुदा पुत्री की मानिद कुटुम्ब पेंशन की पात्रता की हकदारी कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गई थी। तथापि, विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री को कुटुम्ब पेंशन उनकी जन्मतिथि के क्रम में देय होगी तथा उनमें से छोटी पुत्री की कुटुम्ब पेंशन की पात्रता तब तक नहीं होगी जब तक उससे तुरन्त बड़ी पुत्री की कुटुम्ब पेंशन की पात्रता समाप्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री के लिए 25 वर्ष की आयु के पश्चात कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने की हकदारी 25 वर्ष से कम के अन्य पात्र बच्चों के कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने की हकदारी समाप्त होने पर होगी तथा कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने हेतु अन्य किसी अक्षम बच्चे के नहीं पर ही होगी।

3. तदुपरान्त, इस विभाग के दिनांक 17.08.2009 के का.ज्ञा.सं. 1/15/2008-पीएण्डपी डब्ल्सू (ई) द्वारा सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के आश्रित अक्षम बहन/भाई को कतिपय शर्तों के अधीन कुटुम्ब पेंशन की हकदारी की पात्रता के आदेश जारी किए गए।

4. इस विभाग में विभिन्न हलकों से (अर्थात् पेंशनभोगी संघों आदि) ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कतिपय मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस कारण से विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री तथा आश्रित अक्षम बच्चों की कुटुम्ब पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा उस कार्यालय अध्यक्ष को जहां से वे सेवानिवृत हुए है उनके नाम नही दिए गए थे। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों जिनमें सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी इस विभाग द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त आदेश से पहले ही निधन हो गया हो उनमे उनके दावों को इस आधार पर नामंजुर कर दिया जाता है कि वे सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृति/मृत्यु के समय कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के हकदार नही थे। इस विभाग से सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के व्यथित विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री आदि के कुटुम्ब पेंशन के दावे के निपटान हेतु उपर्युक्त स्पष्टीकरण परक आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

5. इस विभाग में इस मामले पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। यह स्तष्ट किया जाता है कि निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की विधवा/तलाकशुदा पत्नी/अविवाहित पुत्री सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख पर ध्यान दिए बिना संबंधित आदेशों के जारी होने की तारीख से कुटुम्ब पेंशन के पात्र होंगे। फलस्वरूप, ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ संबंधित आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगें। सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के आश्रित अक्षम बहन/भाइयों के मामले भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से विधवा/तलाकशुदा पत्नी/अविवाहित पुत्री तथा आश्रित अक्षम बच्चो के कुटुम्ब पेंशन के दावो को प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने का अनुरोध किया जाता है। उनसे इन आदेशो को उनके संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लाने के लिए भी अनुरोध किया जाता है।

7. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनकी यू.ओ.सं. 97/ईवी/2011 दिनांक 6.4.2011 के तहत जारी किया जाता है।

8. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में उनकी प्रयोज्यता का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से उनकी यू.ओ.संख्या 65-लेखा परीक्षा (नियमावली)14-2010 दिनांक 29.4.2011 के तहत जारी किए जा रहे है।

(के.एस.चिब्ब)
निदेशक
दूरभाष: 24635979